न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बइजलास–श्री देवेन्द्र कुमार,आई.ए.एस.

रसद मामला संख्या–179 / 2026
GCMS No.- 2026/190

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद कार्यालय नागौर		श्री मनोज पुत्र माणकलाल (मालिक) माणक स्वीट होम, माही दरवाजा, नागौर तहसील व जिला नागौर।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से श्री शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक
2. अप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित रहे है।

निर्णय दिनांक :– 15.04.2026

राजस्थान सरकार जरिये श्री शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद अधिकारी कार्यालय, नागौर ने यह प्रार्थना–पत्र गैर सायल के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के तहत पेश कर प्रकरण में जब्त सुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मयगैस व 04 व्यावसायिक गैस सलेण्डर मय गैस को समपहरण के आदेश दिए जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण गैर सायल के विरूद्ध दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटिस वास्ते जबाब देही तलब किया गया। गैर सायल के नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक पर्याप्त तामिल होने के बावजूद उनकी ओर से आज कोई उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई । प्रार्थी का बहस में कथन है कि दिनांक 19.03.2026 को श्री रामावतार पूनिया प्रवर्तन अधिकारी, हमराह श्री शिवराम चौधरी व श्री जितेन्द्र बंशीवाल प्रवर्तन निरीक्षकगण द्वारा माणक स्वीट होम, माही दरवाजा, नागौर तहसील व जिला नागौर पर पहुंचे। मौके पर अप्रार्थी श्री मनोज पुत्र माणकलाल उपस्थित मिले, जिन्होनें स्वयं को उक्त होटल का मालिक होना

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

कलक्टर नागौर

जाहिर किया। मौके पर 01 घरेलू गैस सिलेण्डर गैस भट्टी से जोड़ा जाकर एल.पी.जी. को ईधन के रूप में कार्य लिया जाकर खाद्य सामग्री का निर्माण किया जाना पाया गया। मौके पर तलाशी लेने पर उक्त होटल पर 01 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 04 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर बिना उपयोग के रखे पाये गये। इस प्रकार मौके पर पाये गये उक्तानुसार कुल 02 घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग, भण्डारण के दस्तावेज मांगे जाने पर एवं 04 व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों के कनेक्शन एवं रिफिल के दस्तावेज मांगे जाने पर उक्त होटल के मालिक अप्रार्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये गये। इस प्रकार उक्त होटल के मालिक अप्रार्थी का उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन पाये जाने पर मौके पर पाये गये 01 घरेलू गैस का भरा हुआ तथा 01 घरेलू गैस का खाली सिलेण्डर एवं 03 व्यावसायिक गैस के भरे हुए एवं 01 व्यावसायिक गैस का खाली सिलेण्डरों को जब्त सरकार किया गया। उक्त जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों की तलपट्टी निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	एस.आर. नम्बर	नाम कम्पनी	भरे हुए सिलेण्डर का वजन (किलोग्राम में)	खाली सिलेण्डर का वनज (किलोग्राम में)	शुद्ध गैस का वजन (किलोग्राम में)	विशेष विवरण
1	050154	HPCL	19.8	18.8	01.0	--
2	019865-E	HPCL	21.4	19.4	02.0	--
3	014261	HPCL	24.2	19.2	05.0	--
4	011469-J	HPCL	15.8	15.8	0.0	--
5	157761-T	HPCL	29.9	15.7	14.2	--
6	003812-S	HPCL	19.5	19.5	0.0	--

उपर्युक्त जब्तशुदा घरेलू व व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों को मौके पर ही श्री कमल पुत्र श्री गणपतराम निवासी भाकरोद हाल मैसर्स नागौर गैस सर्विस नागौर गैस ऐजेन्सी के प्रतिनिधि को सुरक्षा एवं साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखने की दृष्टि से न्यायालय से निर्णय होने तक सुपुर्द किये गये।

इस प्रकार अप्रार्थी का उक्त कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 की धारा 3, 6 व 7 के खण्ड 1 का स्पष्ट उल्लघंन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रकरण में जब्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस व 04 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर मय गैस को धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (Confiscation) के आदेश प्रदान करावें।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र के संलग्न फर्द जब्ती पर गैर सायल स्वयं के हस्ताक्षर है जिससे यह साबित है कि गैर सायल द्वारा बिना किसी विधिक दस्तावेजों के इन गैस सिलेण्डरों का रिफिल कर एल.पी.जी. को ईधन के उपयोग किया जा

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

कलक्टर नागौर

रहा था। अप्रार्थी का उक्त कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 की धारा 3, 6 व 7 के खण्ड 1 का स्पष्ट उल्लघंन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अप्रार्थी बावजूद तामिल अनुपस्थित रहा है, जिससे भी यही प्रकट है कि उसको प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

अतः प्रार्थी द्वारा पेश किया गया यह प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जब्त सुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस व 04 व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों मय गैस को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के अन्तर्गत, समपहरण (Confiscation) किया जाकर राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी, नागौर को आदेश दिये जाते हैं कि जब्तसुदा गैस सिलेण्डर मय गैस का कीमतन निस्तारण किया जावे तथा इनसे प्राप्त राशि को राजकोष में जमा करवाया जावे। यह राशि राजकीय घोषित की जाती हैं। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, नागौर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

(देवेन्द्र कुमार)
कलक्टर नागौर
जिला कलक्टर,
नागौर